न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 -एक/2017 निगरानी

राजेश कुमार पुत्र सुवालाल सोनी
ग्राम आमोल तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरुद्ध

1-सतेन्द्र सोनी पुत्र चुन्नीलाल सोनी
ग्राम आमोल तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

2-म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी --- अनावेदकगण

(निगरानी धारा 50, भू राजस्व संहिता,1959 -- अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी के प्र0क0 31/2014-15 अपील में पारित आदेश दि. 22-7-17 के विरुद्ध)

महोदय

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि विवादित भूमि ग्राम आमोल की सर्वे क्रमांक 607 रकबा 1.00 हैक्टर है, जो फर्जी खसरा प्रविष्टि द्वारा अनावेदक क-1 के नाम से दर्ज हुई है। अनावेदक के पिता ने तहसील करैरा के कर्मचारियों से सॉठगॉठ करके ग्राम आमोल की उक्त भूमि का खसरे में फर्जी प्र0क्रमांक 195/1996-96 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 30-9-96 से स्वयं के अल्पवयस्क पुत्र को पटटा प्रदान किया जाना अंकित करवा लिया एंव दायरे के सरल कमांक 196 पर फर्जी प्रविष्टि करा ली। उक्त प्रकरण न रिकार्ड रूम में है और न ही तहसीलदार के प्रवाचक के पास है।

जब आवेदक ने तहसीलदार, तहसील करैरा के फर्जी प्रकरण क्रमांक 195/1996-96 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 30-9-96 की जॉच का आवेदन प्रस्तुत किया एंव दिनांक 17-12-14 को अभिभाषक प्रकरण में पैरबी के लिये नियुक्त किया, तहसीलदार करैरा ने आवेदक की एंव आवेदक के अभिभाषक की सुनवाई न करते हुये अंतिम आदेश दिनांक 24-2-14 पारित कर दिया एंव आवेदक का आवेदन इस

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/2885

राजेश कुमार विरूद्ध सतेन्द्र सोनी एवं म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 31/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 22/7/17 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	